

उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर)

12/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपरिखत हैं। फावली में परिवारीगणों की तलबी खेच है। वकील वारी द्वारा परिवारीगणों की तलबी बाबर नोटिस तलबाना पेश किया। परिवारीगणों को नोटिस जरिये Reg डाक जारी किये जायें। वारी प्रत्येक Reg डाक की रसीद न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली न्यायिक दिनांक 21/11/2025 वास्ते तलबी रिपोर्ट पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर)

21/11/2025

कोर्ट द्वारा आज कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही हेतु आईदा दिनांक 25/11/25 को पेश हो।

300

25/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी की मध्यवीर गुजर उपरिखत हैं। वकील वारी द्वारा पत्रावली में न्यायालय खसस निवेदन किया गया कि वारी पत्रावली उपखण्ड अधिकारी लगातार
मिनाय (अजमेर)

पत्रावली के मध्ये
परिवारीगणों की
पत्रावली
21/11/25

फर्द-अहकाम
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला-अजमेर(राज0)
 प्रकरण संख्या- 36/23
 बनाम.....

अन्तर्गत धारा:-.....

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज

तारीख हुक्म

पर आगे की कार्यवाही नहीं चलते है। अतः वाद वाद पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जावे। वकील वाली भी हुना गया। वकील वाली प्रवापली ने प्रागे की कार्यवाही नहीं चाहते है। इस वजह वकील वाली इस प्रवापली आवेदिका पर दिव्यनिर्णय की है। प्रकरण में कोई ठोस दावा पेश नहीं किया गया है। अतः ऐसी दिव्यनिर्णय प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वाद पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रवापली फ़ैसल शमार दी। नम्बर से 35 क्षेत्र दखिय दफ्तर है।

(2)
 उपखण्ड अधिकारी
 भिनाय (अजमेर)